

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं०-०२/२०१२ / ६५
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : ८-१-१३

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-७४-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-२ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	8
1.	४९-जल संसाधन विभाग/ ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०-सामान्य	७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/७४-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180796740545	81.60946

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक्यासी लाख साठ हजार नौ सौ छियालीस मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९८६ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-२, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रख्यं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

I.M.Af
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

g.e
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

Shankar
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

P.S.N
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

165

रॉची, दिनांक :- ८-१-३

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/देवघर/जामताड़ा/मधुपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :—

165

रॉची, दिनांक :- ८-१-३

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुधोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 165

दिनांक ८.१.१३

का अनुलग्नक

परिषिद्ध -1

मोंग संस्था-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,

शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49P470180796740545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमाणित का नाम	मुख्य अभियंता	प्रशासनिक स्वीकृति की मार्च 2012			वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अनुक्रिति	
			योजना का नाम	राशि	प्रसंग	तक का व्यय	पूर्व का आवंटन	आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई प्रमाणित, सिकटिया						38.6600	5.65946	44.31946	अतिरिक्त आवंटन
2	सिंचाई प्रमाणित, सं-2, सिकटिया	देवधर	अजय बराज योजना	35184.5196		37 / 06-07 प्र०स्वी० दिनांक-22.03.07	33192.5112	144.18000	7.00000	151.18000 परिषिद्ध 2 में पर वर्णित
3	सिंचाई प्रमाणित, जामताडा						57.16000	68.95000	126.14000 कार्यों हेतु	
			कुल योगा	240.05000	81.60946	321.63946				
अतिरिक्त आवटित राशि - ₹ एक्यासी लाख साठ हजार नौ सौ छियालीस मात्र।										

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० कै० शतपथी)

प्रधान सचिव

पत्रांक : १६९ दिनांक ८-१-१३ का अनुलेखनक

परिषिक्त - 2

विपत्र कोड— 49P470180796740545

(लाख ₹ में)

क्रं.	प्रमङ्गल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण			एकारणनामा सं०/तिथि	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	आवंटित राशि	अस्यकिति
			नाम	सं०	तिथि					
1	2	3		4		5	6	7	8	9
			Inauguration of Ajay Barrage, Sikatia			5.00000	0.00000	5.00000		
			Land Acquisition			11.90000	0.00000	11.90000		
1	सिंचाई प्रमङ्गल, सिकटिया	अजय बराज योजना	R/M of D.G. Set Ajay Barrage, Sikatia, I.V., I.B and Provision of Seasonal Labours	3.00000	5.65946	8.65946				
			R/M of Control Room Ajay Barrage, Sikatia	2.00000	0.00000	2.00000				
			Payment of Wages of Seasonal Labours	16.76000	0.00000	16.76000				
			योग			38.66000	5.65946	44.31946		
			Strengthening of AMC from Ch. 108.00 to Ch. 398,	ISBD01	111.25000	0.00000	111.25000			
			Strengthening of AMC from Ch. 401.00 to Ch. 406.00,	2F2/2011-12	7.50000	0.00000	7.50000			
			Strengthening of AMC from Ch. 406.00 to Ch. 409.00,	3F2/2011-12	14.35000	0.00000	14.35000			
			Strengthening of AMC from Ch. 431.00 to Ch. 434.00,	4F2/2011-12	6.12000	0.00000	6.12000			
			Construction of wing wall at S.L.R Bridge at Ch. 37.50 of AMC	5F2/2011-12	0.46000	0.00000	0.46000			
			Construction of PCC Cause way on service road from Ch. 36.00 of Ch. 38.00	6F2/2011-12	0.25000	0.00000	0.25000			
2	सिंचाई प्रमङ्गल, सं०-२, सिकटिया	अजय बराज योजना	R/M of I.V R/M of I.B. at Madhupur		1.00000	0.00000	1.00000			
			Provision of Demarcation / boundary / pillar of both sides of banks from Ch. 0.00 to Ch. 460.00 of AMC and writing Ch. of every structure and T.B.M.		0.25000	0.00000	0.25000			
			R/M of Ajay Main Canal from Ch. 0.00 to 460.00 including seasonal labours for Canal running		3.00000	0.00000	3.00000			
			R/M of Irrigation Colony, Madhupur including water supply, Motor Pump, Electricity, Repair Maintenance of Quarters & Raising of Compound Wall		0.00000	2.00000	2.00000			
			R/M of Service road from Ch. 0.00 of Ch. 460.00 of A.M.C	योग	0.00000	7.00000	151.18000			
					144.18000					

J.M.P
(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अधिकारी

G.S
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अधि०)

S.K
(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अधि०)

N.M
(दी. सी. निगम)

विशेष सचिव

M.M
(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

पत्रांक :- १६८ विनांक ८/१/१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - २

विपत्र कोड- 49P470180796740545

(लाख ₹ में)

क्र.	प्रमाणित का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण			एकरणामा सं. / लिथि	पूर्व का आवंतन	अतिरिक्त आवंतन	आवंतन राशि	अन्युवित्त
			1	2	3					
F - C.D Works										
			(i) Repair of C.D. structures at ch. 592, 971, 1042, 1204.70, 1282 of Ajay Main canal.							
			(ii) Repair of C.D. structures at ch. 1343, 1355, 1367, 1390, 1415 & 1445 of Ajay Main canal.							
			(iii) Repair of C.D structures from ch. 460.00 to 1700.00 of AMC							
G - Bridges										
			(i) Residual work of bridge at ch. 1468.							
			(ii) Residual work of bridge at ch. 1685.							
			Repair of H/R, C/R Escape gates of Ajay Main Canal.							
			(i) Emergent repair of breaches and seasonal labour payment during irrigation period							
			(ii) R/M of two nos.Insp. Vehicle							
			(ii) R/M of Two nos. of Inspection vehicles. (Division & Circle offices)							
			(iii) R/M of Residential & office building (Division & Circle Office) premises & Allied works							
			Supply & Fixing of bounding Pillar from ch. 460.00 to Ch. 1700.00 and Marking of Chainage & TBM on Structures.							
			Residual E/W in bed of Ajay main canal (Ch. 460.00 to 1700.00)							
			योगा							
			संकल योगा							
			240.03000							
			81.60946							
			321.63946							
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक्यासी लाख साठ हजार नों सो छियाहोस मात्र।										

J.M.C.P.
(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अधिकारी

G
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभिः)

G
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)

G
(वी. सी. निगम)
विशेष सचिव

G
(एस० कै० शताभी)
प्रधान सचिव